न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 544 सन 2020

अनवान :–

1. सुभाषचन्द्र पुत्र बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. लीलाराम पुत्र स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
2. देवीलाल पुत्र स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
3. मंगलाराम पुत्र स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
4. कृष्णा पत्नी स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
5. सीमा पुत्री स्व स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
6. मैना पुत्री स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
7. सुमन पुत्री स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
8. शर्मिला पुत्री स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
9. सन्तोष पुत्री बुगा पुत्री स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं जिला हनुमानगढ।
10. रामनिवास पुत्र बुगा पुत्री स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं जिला हनुमानगढ।
11. संदीप पुत्र बुगा पुत्री स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 15/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 376/354 की कुल 11.6100हैक में से सयुक्त रूप से मृतक बनवारीलाल के नाम 10423/116100हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 151/151 की कुल 12.5710हैक में से सयुक्त तौर से मृतक बनवारीलाल के नाम 784/12571 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

बनवारीलाल पुत्र बुधराम का देहान्त हो चुका है बनवारीलाल पुत्र बुधराम के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया व पुत्री बुगा के पुत्र पुत्रीया है अर्थात बनवारीलाल पुत्र बुधराम के नाम से दर्ज भूमि कृषि भूमि के जायज वारिसान उसके पुत्र पत्रीया एव मृतक पुत्री बुगा के पुत्र पत्रीया है अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ही मृतक बनवारीलाल पुत्र बुधराम के जायज वारिसान है जो उसके नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 वादी की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 वादी की बहन बुगा के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक बनवारीलाल पुत्र बुधराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बनवारीलाल पुत्र बुधराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता बनवारीलाल पुत्र बुधराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है इसलिये मृतक बनवारीलाल पुत्र बुधराम के नाम से दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने माता/भाई/मामा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 376/354 की कुल 11.6100हैक में से सयुक्त रूप से मृतक बनवारीलाल के नाम 10423/116100हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 151/151 की कुल 12.5710हैक में से सयुक्त तौर से मृतक बनवारीलाल के नाम 784/12571 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

बनवारीलाल पुत्र बुधराम का देहान्त हो चुका है बनवारीलाल पुत्र बुधराम के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया व पुत्री बुगा के पुत्र पुत्रीया है अर्थात बनवारीलाल पुत्र बुधराम के नाम से दर्ज भूमि कृषि भूमि के जायज वारिसान उसके पुत्र पत्रीया एव मृतक पुत्री बुगा के पुत्र पत्रीया है अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ही मृतक बनवारीलाल पुत्र बुधराम के जायज वारिसान है जो उसके नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 वादी की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 वादी की बहन बुगा के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
सोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 376/354 की कुल 11.6100हैक में से सयुक्त रूप से मृतक बनवारीलाल के नाम 10423/116100हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 151/151 की कुल 12.5710हैक में से सयुक्त तौर से मृतक बनवारीलाल के नाम 784/12571 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पिता बनवारीलाल पुत्र बुधराम का देहान्त हो चुका है बनवारीलाल पुत्र बुधराम के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया एवं पुत्री बुगा के पुत्र पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है। अर्थात मृतक बनवारीलाल पुत्र बुधराम के नाम से दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का हक हिस्सा है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 376/354 की कुल 11.6100हैक में से सयुक्त रूप से मृतक बनवारीलाल के नाम 10423/116100हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 151/151 की कुल 12.5710हैक में से सयुक्त तौर से मृतक बनवारीलाल के नाम 784/12571 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में मृतक बनवारीलाल पुत्र बुधराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुभाषचन्द्र पुत्र बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 लीलाराम पुत्र स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
2. देवीलाल पुत्र स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
3. मंगलाराम पुत्र स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
4. कृष्णा पत्नी स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
5. सीमा पुत्री स्व स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
6. मैना पुत्री स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
7. सुमन पुत्री स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
8. शर्मिला पुत्री स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं।
9. सन्तोष पुत्री बुगा पुत्री स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं जिला हनुमानगढ।
10. रामनिवास पुत्र बुगा पुत्री स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं जिला हनुमानगढ।
11. संदीप पुत्र बुगा पुत्री स्व बनवारीलाल जाति धानक निवासी अरडकी तहसील नोहरं
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 544 सन 2020 निर्णय दिनांक– 15/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 376/354 की कुल 11.6100हैक में से सयुक्त रूप से मृतक बनवारीलाल के नाम 10423/116100हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 151/151 की कुल 12.5710हैक में से सयुक्त तौर से मृतक बनवारीलाल के नाम 784/12571 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में मृतक बनवारीलाल पुत्र बुधराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner